न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिलकुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या–12 / 2018

रामलाल बनाम **बेगाराम आदि**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– **दिनांकः– 05.06.2018**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सार यह है कि यह कि प्रार्थी के कब्जे, हक, अधिकार व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 603 रकबा 3.49 हैक्टेयर वाके ग्राम रिणु तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित है जिसे आगे प्रार्थना–पत्र में प्रश्नगत आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

यह कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 603 रकबा 3.49 हैक्टेयर वाके ग्राम रिणु तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला –सीकर में अवस्थित है जो प्रार्थी के हकरु अधिकार की कृषि भूमि है जिसमें प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 601 व 600 वाके ग्राम रिणु के पश्चिमी तरफ की सींव के सहारे–सहारे 12 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के खेत में प्रवेश करता है जो वर्तमान में चालू है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ता नहीं है जिसके बाबत प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के खेत में जाने का एकमात्र रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे मौके पर बना हुआ है को राजस्व रिकॉर्ड में 12 फीट कटानी रास्ता अंकित किये जाने की आज्ञा फरमाया जानी आवश्यक है।

यह कि प्रार्थी प्रश्नगत खसरा नम्बर 603 रकबा 3.49 हैक्टेयर वाके ग्राम रिणु तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित है में आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता है। जो काफी वर्षो से प्रार्थी अपने खेत में आवागमन के काम में लेता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता कटानी नहीं है जिस कारण प्रार्थी को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे बने 12 फीट चौडा कदीमी रास्ते को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता किये का आदेश फरमाया जाने आवश्यक है।

यह कि आवेदन माननीय न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। यह कि आवेदन उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। यह कि अन्य तर्क वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतः आवेदन मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के हक, अधिकार व खातेदारी की प्रश्नगत खसरा नम्बर 603 रकबा 3.49 हैक्टेयर वाके ग्राम रिणु तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित है में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 601 व 600 वाके ग्राम रिणु तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे 12 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर बना हुआ है जिसको राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में कायम किये जाने व अंकन किये जाने के ओदश पारित फरमाये जाने कृपा करें।

पत्रावली आज राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 केम्प– दिसनाऊ में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उपस्थित अप्रार्थी बेगाराम ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी रामलाल आदि द्वारा मेरे जमीन के लगते हुये रास्ते पर अतिक्रमण को हटाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रास्ता संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। साथ ही ग्राम के मौजिज लोगों से भी उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी ली गई। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट दिनांकित 05.06.2018 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। वर्तमान स्थिति तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की मौका रिपोर्ट दिनांकित 05.06.2018 के अनुसार ही प्रकट होती है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ की रिपोर्ट दिनांकित 05.06.2018 के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यपूर्ण पाया जाता है।

Web Copy Not Official

–:आदेशः–

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश पारित किया जाता है कि–

(अ) तहसीलदार लक्ष्मणगढ की रिपोर्ट दिनांकित 05.06.2018 में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम ग्राम रिणु पटवार हल्का दिसनाउ, तहसील लक्ष्मणगढ़ के प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 603 रकबा 3.49 हैक्टेयर में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 601 में से रकबा लम्बाई 36 मीटर व चौड़ाई 3.60 मीटर माप का खसरा नम्बर 601 में से रास्ता कायम (संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग द्वारा ए से बी से अंकित) किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अनुरूप नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाये ।

(ब) ख.नं. 601 में से रास्ते मे गई भूमि कम करते हुए नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सीवाय चक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(स) मुताबिक रास्ता रिपोर्ट के बिन्दु सं. 4 के आधार पर खसरा सं. 603 के खातेदार ने रास्ता के बदले 130 वर्ग मी. भूमि अपने खेत की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे देना स्वीकार किया जिसको खसरा सं. 601 के खातेदारों ने भी स्वीकार किया। जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु बी से सी के बीच दर्शाया गया है। उक्तानुसार रास्ते के बदले दी जा रही उक्त भूमि का खसरा सं. 601 के खातेदार को काबिज, काश्तकार खातेदार उद्घोषित किया जाता है।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करावें। तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को लिखवाया जाकर केम्प कोर्ट दिसनाउ मे सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– दिसनाउ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official